<u>जनपद बाराबंकी</u>

दिनांक 04.09.2020

थाना हैदरगढ़ पुलिस द्वारा 03 शातिर स्मैक तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 450 ग्राम अवैध स्मैक बरामद-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी डॉ0अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरुद्ध अभियान चला कर विधिक कार्यवाही करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी/दक्षिणी के निर्देशन में समस्त थानों द्वारा टीमों का गठन कर अवैध तस्करों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु अथक प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक हैदरगढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता मिली।

दिनांक 04.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि पंचवटी ढाबा ग्राम खरसतिया थाना हैदरगढ़ में ढाबों पर आने-जाने वाले ट्रक ड्राइवरों व अन्य लोगों को स्मैक की अवैध बिक्री की जाती है। उक्त सूचना को प्रभारी निरीक्षक हैदरगढ़ द्वारा विकसित करते हुए पंचवटी ढाबा से 03 अभियुक्त 1-राज बहादुर सिंह उर्फ राजू सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी गुमावां थाना शिवगढ़ रायबरेली 2-संतोष मौर्या पुत्र बुधराम मौर्या निवासी नगियामऊ थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी को 75-75 ग्राम व 3-देव शंकर मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा निवासी खरसतिया थाना हैदरगढ़ बाराबंकी को 300 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ पंचवटी ढाबा ग्राम खरसतिया से समय 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्तगण से पूछताछ एवं अभिसूचना एकत्रित करने से प्रकाश में आया कि अभियुक्त देवशंकर मिश्रा के पास से वर्ष 2003 में नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद की गयी थी। जिस पर नारकोटिक्स विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी थी। देवशंकर मिश्रा के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग में ही मा0 न्यायालय द्वारा 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी थी। जिसमें से देवशंकर मिश्रा द्वारा 09 वर्ष सजा काटने के पश्चात मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जमानत पर बाहर था। देवशंकर मिश्रा द्वारा ग्राम खरसतिया में पंचवटी ढाबा खोला गया एवं उपरोक्त ढाबे पर आने वाले ट्रक ड्राइवरों व अन्य लोगों को स्मैक की अवैध बिक्री की जाती है और अभियुक्त राजबहादुर सिंह उर्फ राजू सिंह व संतोष मौर्या द्वारा पंचवटी ढाबे पर ग्राहकों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अवैध स्मैक सप्लाई किया जाता है। थाना हैदरगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के पास से बरामद अवैध स्मैक के विषय में जानकारी की जा रही है। अभियुक्त देवशंकर मिश्रा के विरुद्ध जनपद अमेठी व बाराबंकी में आधा दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत है।

नाम पता अभियुक्त गण-
1. राज बहादुर सिंह उर्फ राजू सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी गुमावां थाना शिवगढ़ रायबरेली
2. संतोष मौर्या पुत्र बुधराम मौर्या निवासी नगियामऊ थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी
3. देव शंकर मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा निवासी खरसतिया थाना हैदरगढ़ बाराबंकी

बरामदगी-
1. अभियुक्त राज बहादुर सिंह उर्फ राजू सिंह के पास से 75 ग्राम नाजायज स्मैक ।
2. अभियुक्त संतोष मौर्या पुत्र बुधराम मौर्या के पास से 75 ग्राम नाजायज स्मैक ।
3. अभियुक्त देव शंकर मिश्रा के पास से 300 ग्राम नाजायज स्मैक ।

आपराधिक इतिहास-
देवशंकर मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा निवासी खरसतिया थाना हैदरगढ़ बाराबंकी
1- मु0अ0सं0-71/85 धारा 452/323/506 भादवि थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।
2- मु0अ0सं0-359/90 धारा 307/147/452/504/506/427 भादवि थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।
3- मु0अ0सं0-138/92 धारा 147/447/448/452/323/504/506 भादवि थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।
4- मु0अ0सं0-7/93 धारा 436/504/506/307 भादवि थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

5- मु0अ0सं0-185/03 धारा 8/15/18/29 एनडीपीएस एक्ट थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।
6- मु0अ0सं0-259/17 धारा 110G थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।
7- मु0अ0सं0-275/17 धारा 3/4 गुण्डा अधि0 थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।
8- मु0अ0सं0-164/20 धारा 147/323/427/506 भादवि थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

पुलिस टीम-
1. प्र0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह रघुवंशी थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।
2. उ0नि0 श्री तेज बहादुर सिंह थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।
3. का0 संदीप कुमार थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।
4. का0 विपिन कुमार थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।